

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-1
संख्या-3117/पांच-1-08
लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर, 2008

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-438/पांच-1-08,
दिनांक 18.04.08 का स्पष्टीकरण

रक्त एवं रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज लिये जाने के संबंध में निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-438/पांच-1-08, दिनांक 18.04.08 का प्रस्तर-8 विलुप्त किया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"यह आदेश प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेज एवं राजकीय चिकित्सालयों में रक्त एवं रक्त अवयव सेवा शुल्कों के संबंध में शासनादेश संख्या-984/ 5-1-2000-4(80)/95, दिनांक 28.06.2000 को अवकमित करते हुए जारी किये जा रहे हैं।"

2- शासनादेश दिनांक 18.04.08 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

एच०एल०गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या- 3117 (1)/पांच-1-08, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 3- परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, लखनऊ।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 6- औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त प्रभारी रक्त कोष राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
- 8- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
- 9- समस्त ए०आर०टी० केन्द्र, उ०प्र०।
- 10- चिकित्सा अनुभाग-8
- 11- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1/3
- 12- गार्ड बुक।

1285

APP/JD/BS)

12/11/08

10

17-11-08